

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चंद्र
तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का छापोली,

बनाम

श्रीमती भागोती पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी सौकडाला तहसील उदयपुरवाटी
अर्तगत घारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

-:निर्णय:-

प्रकरण संख्या:- 24/2021

दिनांक 08.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प स्थल छापोली में पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का छापोली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2077 में मौजा ग्राम ढाणी सौकडाला पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 422 कुल रकबा 1.68 है० किस्म गै० मु० पहाड़ में से 0.0140 है० सरकारी भूमि पर श्रीमती भागोती पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी सौकडाला ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रही है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम ढाणी सौकडाला पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 422 कुल रकबा 1.68 है० किस्म गै० मु० पहाड़ में से 0.0140 है० सरकारी भूमि पर से श्रीमती भागोती पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी सौकडाला को वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50/-रुपये (अक्षरे रू पचास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से वेदखल कर रिपोर्ट वेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

2021-22

पृष्ठ 8

50५५

Ramany

सुभाष चंद्र

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी